7

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

e-mail : ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक/6 (ब)/लाय./2011/111 ग्वालियर, दिनांक 17.02.2011

प्रति,

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी
जिला .... मध्यप्रदेश

विषय : वर्ष 2011–12 के लिये बार लायसेंसों के पुनर्स्वीकृति प्रस्ताव भेजे जाने के संबंध में।

विगत वर्षों में रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट या क्लब में मदिरा के उपभोग के इच्छुक उपभोक्ताओं को परिसर में स्वल्पाहार/भोजन के साथ मदिरा (स्पिरिट, वाइन, बीयर आदि) उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आवेदक, पात्र इकाईयों को विनिश्चित किये गये मापदण्डों का पालन करने वाले रेस्तरां बार अथवा होटल बार अथवा रिसोर्ट बार अथवा क्लब बार लायसेंस स्वीकृत/जारी किये जाते रहे हैं।

इस संबंध में गठित जिला समिति द्वारा आवेदक रेस्तरां/होटल/रिसोर्ट के निरीक्षण में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के आधार पर, बार लायसेंसों की स्वीकृति संबंधी अनुशंसा की जाती है।

विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि नवीन बार लायसेंस प्राप्त करते समय रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार की स्वीकृति हेतु जो मापदण्ड निर्धारित हैं, वे मापदण्ड लायसेंस की स्वीकृति के बाद उपलब्ध नहीं रहते हैं। रेस्तरां में एयरकंडीशनिंग की व्यवस्था, किचिन का संचालन, पुरूषों और महिलाओं के लिये शौचालय, पार्किंग आदि बाद में यथावत उपलब्ध नहीं रहते हैं। होटल के कमरों में एयरकंडीशनर केवल समिति द्वारा निरीक्षण के अवसर पर ही लगाये जाते हैं। अनेक होटलों में बाद में रेस्टोरेन्ट भी चलते हुये नहीं पाये जाते हैं। क्लबों में वांछित सुविधाओं का अभाव रहता है। तात्पर्य यह है कि कतिपय ऐसे रेस्तरां अथवा होटल अथवा क्लब विदेशी मदिरा की दुकानों के समानान्तर, केवल मदिरा विक्रय का केन्द्र बनकर रह जाते हैं। परिणामतः इससे समीपवर्ती मदिरा दुकानों के लायसेंसियों को हानि होती है। साथ ही शासन निर्देशों के पालन की दृष्टि से भी यह उपयुक्त नहीं है।

अतः यह आवश्यक है कि इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं उसके संलग्न प्रेषित चैक लिस्ट के अनुरूप, वर्ष 2011–12 के लिये जिन रेस्तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार एवं क्लब बार लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव आपके द्वारा भेजे जायें, उनमें कार्यालय प्रमुख के रूप में आपके द्वारा अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बार लायसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये, जो मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, वे सम्यक रूप से वर्तमान में भी प्रभावी एवं उपलब्ध हों।

होटल बार लायसेंसों की पुर्नस्वीकृति के प्रकरण में कमरों के अधिभोगियों से प्रभारित किये जाने वाले दैनिक किराये की दर, भुगतान किये गये लक्जरी टैक्स, वैट **(VAT)** एवं बिजली के बिलों के भुगतान राशि की जानकारी के साथ–साथ रेस्तरां बार तथा व्यवसायिक क्लब बार लायसेंसों के संबंध में, वर्ष में उनका टर्न ओवर एवं ''कुक्ड–फूड'' की बिलिंग राशि कितनी रही है ? कितना वैट उनके द्वारा भुगतान किया गया है ? इसके संबंध में गंभीरता पूर्वक पृथक से जानकारी ली जाकर, इसका उल्लेख प्रतिवेदन में अंकित कर प्रमाण स्वरूप अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें।

निष्कर्षतः रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट, क्लब आदि को वर्ष 2011–12 के लिए बार लायसेंस की पुर्नस्वीकृति की अनुशंसा करते समय, आप इस तथ्य से अवगत रहें कि जिस रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब के लिये बार लायसेंस की पुनर्स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, वहां मदिरा का उपभोग मुख्यतः रेस्तरां एवं होटल व्यवसाय को Promote करने का साधन हो, न कि आवेदक का उद्देश्य मदिरा का विक्रय करना मात्र हो। तदनुसार ही रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट, क्लब बार लायसेंस की पुर्नस्वीकृति के प्रस्ताव भेजे जायें।

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/6 (ब)/लाय./2011/112 ग्वालियर, दिनांक 17.02.2011

प्रतिलिपि :

1. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ... मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश